न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 117/2022 (GCMS : 2022/191)

स्टेट जरिये अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री नरेश कुमार** पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा जाति ब्राह्म, उम्र 42 साल निवासी खेत्रपाल मंदिर के पीछे, वार्ड नं. 10 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर पुलिस थाना पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
2. **श्री पृथ्वीराज** पुत्र श्री मंगलाराम जाति कुम्हार उम्र 45 साल निवासी चक 1 ए छोटी, वार्ड नं. 19 नजदीक टाईनी टॉटस स्कूल, मंगलाराम जी की ढणणी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.07.2025

पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर एवं अप्रार्थी पृथ्वीराज के अधिवक्ता श्री पी.पी. मक्कड़ उपस्थित हुए। अप्रार्थी नरेश शर्मा के अधिवक्ता श्री राजेश भारत को रूक रूक कर, बार–बार आवाज़ लगाई गई परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए, उनके द्वारा पूर्व में लिखित बहस पेश की हुई, जो शामिल पत्रावली है। राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थी पृथ्वीराज के अधिवक्ता श्री पी.पी. मक्कड़ को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.पी. मक्कड़ ने कथन किया कि अप्रार्थी नरेश कुमार के अधिवक्ता ने अति. जिलाधीश सतर्कता के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और अति. जिलाधीश सतर्कता द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा है कि अप्रार्थी नरेश कुमार के अधिवक्ता न्यायालय के अनुसार प्रोपर रूप से ड्रैस नहीं पहनी जाती थी, इसलिए अवमानना का स्पष्ट रूप से बनता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके समक्ष न्यायालय में जो पत्रावली लम्बित थी, वो धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही थी और यह माना जा रहा था कि 145 सीआरपीसी की कार्यवाही केवल कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पर प्रभावशील है और कृषि भूमि के सम्बन्ध में 145 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा रही है जबकि वर्तमान में विवादित भूमि नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (यूआईटी) के नाम से बतौर जमाबंदी में दर्ज हो चुकी है, इसलिए वर्तमान प्रकरण स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुका है। इसलिए यह प्रकरण हस्तान्तरण करने योग्य ही नहीं रहा है। इसलिए हस्तगत प्रकरण हस्तान्तरण न किया जाकर निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी नरेश शर्मा के अधिवक्ता श्री राजेश भारत ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में मु.नं. 01/2018 में जारी विधि विरूद्ध प्रक्रिया के प्रक्रमों, जो कि रिकॉर्ड पर स्वतः प्रकट है, को हट पूर्वक आगे बढ़ाने की बुनियाद से उनका ''मत'' बाबत मुन्तकिली उपजा है, जो न्याय हित में नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रकरण को स्थानान्तरित करने की बजाए अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) न्यायालय में जारी विधि विरूद्ध प्रक्रिया के प्रक्रमों को रूकवाना और विधि सम्मत प्रक्रमों को सुनिश्चित करवाते हुए उसी न्यायालय में सुनवाई जारी रखवाई जावें क्योंकि एडीएम (सतर्कता), श्रीगंगानगर – श्रीमती कमला अलारिया का भी स्थानान्तरण हो चुका है और उनके स्थान पर नए अधिकारी का पदस्थापन हो चुका है। इसलिए मुंतकिली प्राथना पत्र खारिज कर उसी न्यायालय में ही सुनवाई जारी रखने की प्रार्थना की है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि तत्कालीन अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया था कि अधिवक्ता श्री राजेश भारत उनके द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण न कर, न्यायालय की गरिमा के प्रतिकूल अनर्गल टिप्पणियां की जाकर न्यायिक प्रक्रिया को बाधित [illegible] प्रयास किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी/अधिवक्ता की संतुष्टि [illegible] को कायम रखते हुए विचाराधीन प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:41 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है इसलिए विचाराधीन प्रकरण निष्प्रभावी हो चुका है। इसलिए इस प्रकरण में इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित होगा।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि तत्कालीन अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2018 अनवानी स्टेट बनाम नरेश शर्मा एवं पृथ्वीराज आदि अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी का प्रकरण प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु विचाराधीन था। तत्कालीन अति. जिला कलक्टर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2022 से प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की थी। इस न्यायालय को धारा 145सी.आर.पी.सी. के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

अब चूंकि तत्कालीन अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्र उक्तानुसार खारिज किये जाते हे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.07[illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:41 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर